

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

123-लोहावट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान(राज्य) की विधान सभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री गजेन्द्र सिंह

खीवसर फोर्ट, ग्राम-खीवसर तहसील-खीवसर, जिला- नागौर (राज)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जोधपुर

तारीख : 03.12.2023

4

(प्रदीप कुमार)

रिटर्निंग ऑफिसर

123-लोहावट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी, एच. एम. लोहावट मजिस्ट्रेट
एच. एम. लोहावट
लोहावट

FORM 21 C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **123 - Lohawat** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri **GAJENDRA SINGH**


KHINWSAR FOURT, VILLAGE- KHINWSAR TEH.- KHINWSAR DISTRICT - NAGOUR (RAJ)

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY**

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Jodhpur

Date :- 03.12.2023


(Pradeep Kumar)
Returning Officer
123 Lohawat Lohawat
Sub Divisional Officer and
Sub divisional Magistrate, Lohawat